L. A. BILL No. XVIII OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १८ सन् २०२३।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२३, ७ जून २०२३ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६१ का महा. २४।
सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. २।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ७ जून २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा २ के खण्ड (१९) के उप-खंड (क) के पश्चात्, निम्न उप-खंड, निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४।

"(क-१) " सक्रिय सदस्य " का तात्पर्य, सदस्य जो संस्था के कार्यकलापों में भाग लेता है और उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की गई उस संस्था के सेवाओं या उत्पादों का न्यूनतम स्तर पर उपयोग करता है ;"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान में निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य।

" **२६.** (१) सदस्य, अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में यथा उपबंधित ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार बनेंगे :

परंतु, जब तक कोई सदस्य संस्था के संदर्भ में सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं करता, या संस्था के ऐसे हित में अर्जित नहीं करेगा जैसा कि समय-समय पर संस्था की उप-विधियों के अधीन विहित और विनिर्दिष्ट किया गया है, तब तक अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा :

परंतु आगे यह कि, सदस्य के अधिकार का उपयोग करने के लिए, शेयर पूंजी में सदस्य के न्यूनतम अंशदान को बढ़ावा देने के मामले में संस्था द्वारा सदस्यों को यथोचित माँग की सम्यक् सूचना दी जायेगी और उसके अनुपालन के लिए पर्याप्त समयावधि दिया जायेगा।

(२) संस्था के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य रहेगा कि,—

(क) पाँच वर्षों की लगातार समयावधि के भीतर कम से कम एक साधारण निकाय बैठक को उपस्थित रहना :

परंतु, इस खण्ड की कोई भी बात अनुपस्थित सदस्य, जो संस्था के साधारण निकाय द्वारा क्षमापित किया हैं तो लागू नहीं होगी।

(ख) संस्था के उप-विधियों में यथा विनिर्दिष्ट लगातार पाँच वर्षों की समयावधि में कम से कम एक बार सेवाओं और उत्पादों के न्यूनतम स्तर में उपयोग करना :

परंतु यह कि, वह सदस्य जो उपरोल्लेखित कम से कम एक सामान्य निकाय बैठक को अनुपस्थित रहता है और लगातार पाँच वर्षों की समयावधि में कम से कम एक बार सेवाओं और उत्पादों का न्यूनतम स्तर में उपयोग नहीं करता जैसा की ऐसी संस्था की उप-विधि में यथा विनिर्दिष्ट अक्रियाशील सदस्य में वर्गीकृत किया जायेगा :

परंतु आगे यह कि, जब संस्था किसी सदस्य को अक्रियाशील सदस्य के रूप में वर्गीकृत करती है, तब संस्था वित्तीय वर्ष के समापन के तीस दिनों के भीतर संबंधित सदस्य को ऐसे वर्गीकरण के बारे में विहित रित्या से संसूचित करेगी :

परंतु यह और भी कि, अक्रियाशील सदस्य को अक्रियाशील सदस्य के रुप में उसके वर्गीकरण करने के दिनांक से आगे कम से कम एक सामान्य निकाय बैठक को अनुपस्थित रहा है और उप-विधि में यथा विनिर्दिष्ट सेवाओं या उत्पादों के न्यूनतम स्तर में उपयोग नहीं किया है, ऐसे अक्रियाशील सदस्य धारा ३५ के अधीन निष्कासन के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और भी कि, अक्रियाशील सदस्य के रूप में वर्गीकृत किये गये सदस्य ने इस उप-धारा में यथा उपबंधित पात्रता निकषों की पूर्तता करने के बाद वह क्रियाशील सदस्य के रूप में उसके पुन:वर्गीकरण किये जाने का हकदार रहेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि कोई सदस्य किसी के क्रियाशील और अक्रियाशील सदस्य के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित होने पर उसे वर्गीकृत करने की सुचना देने के दिनांक से साठ दिनों की समयावधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास उस संदर्भ में अपील किया जायेगा :

सन् २०२३ का महा. अध्या क्र. २।

परंतु यह भी कि, इस धारा के उपबंध उन संस्थाओं को लागू नही होंगे जिन संस्थाओं की अंतिम मतदाता सूची महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२३ के प्रारंम्भण के दिनांक पर या के पूर्व प्रकाशित की है।"।

४. मूल अधिनियम की धारा २७ की,—

(एक) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात्,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २७ में संशोधन।

"(१क) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्रिय सदस्य जो संस्था के कामकाज में भाग लेने में और उप-विधियों में समय-समय से, यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर पर सेवा या उत्पादों का उपयोग करने में विफल रहता है तो वह सक्रिय सदस्य के रूप में परिविरत होगा और उसे मत देने का हक नहीं होगा।";

(दो) उप-धारा (३) में, " उसमें से एक की नियुक्ति " शब्दों के पश्चात्, " सक्रिय " शब्द निविष्ट किया जायेगा।

५. मूल अधिनियम की धारा ७३क की, उप-धारा (९) में, " पदाभिहित अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित किया गया है, यदि वह " शब्दों के पश्चात् " सक्रिय सदस्य नहीं है और वह " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३क में संशोधन।

सन् १९२३ का महा. अध्या क्र. २।

६. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२३, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् १९६१ का महा. अध्यादेश क्र. २ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिती, जारी की गयी समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) राज्य में, सहकारी गतिविधियों का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए अधिनियमित किया है। संस्था, संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतान्त्रिक रुप से नियंत्रित उद्यम के ज़रिए उनकी सामान्य जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा सहकारी तत्वों तथा मूल्यों का पालन करनेवाली स्वेच्छा से संघटित स्वायत्त व्यक्तियों का संघ है। संस्था के विकास और क्रियाकलापों में सदस्यों की सहभागिता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देखा गया है कि, संस्था के अधिकांश सदस्य संस्था की गतिविधियों में सक्रिय सहभाग नहीं लेते हैं, जिसका प्रभाव संस्था साथ ही साथ उसके सदस्यों के समस्त विकास पर पड़ रहा है।

२. राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने और संस्था के कामकाज में सदस्यों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि, सदस्य, पाँच वर्षों की लगातार समयावधि के भीतर कम से कम एक सामान्य निकाय बैठक में उपस्थित रहेगा और ऐसी संस्था के उप-विधियों में यथा विनिर्दिष्ट लगातार पाँच वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार सेवा या उत्पादों के न्यूनतम स्तर में लाभ उठाएगा। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा २, २६, २७ और ७३क में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. चूँकि, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२३ (सन २०२३ का महा. अध्या. क्र. २), ७ जून २०२३ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२३।

दिलीप वळसे-पाटील,
सहकारिता मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई